



परिशिष्ट - कटे हुए नोट के ब्रिकेट/टुकड़ों का निपटान, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, कानपुर

[RBI/Kanpur/Regional Office/Issue/4/25-26/ET/849](#)

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2026 को एमएसटीसी पोर्टल और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के माध्यम से कटे हुए नोट के ब्रिकेट/ टुकड़ों के निपटान के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई थी। उक्त निविदा में एकीकृत किए जाने वाले विवरण के साथ परिशिष्ट निम्नानुसार है:

क्र. सं.	एकीकृत किया गया खंड	विवरण
1.	पात्रता श्रेणी {निविदा दस्तावेज़ का खंड-II 2.1 (ix)}	<p>कटे हुए नोट के ब्रिकेट/ टुकड़ों के निपटान के लिए ई-निविदा में सहभागिता हेतु व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी/ साझेदारी फर्म/ सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी)/ स्वामित्व संस्था पात्र हैं।</p> <p>सामूहिक कंपनियाँ/ समूह के रूप में सामूहिक कंपनियों की सहयोगी संस्थाएं/ विशेष प्रयोजन माध्यम/ सहायता संघ/ संयुक्त उद्यम, सहभागिता हेतु पात्र नहीं हैं।</p>

- बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिशिष्ट को ध्यान में रखते हुए बोली प्रस्तुत करें। कृपया नोट करें कि यह निविदा दस्तावेज़ का अनुपूरक है और निविदा का भाग माना जाएगा।
- इस ई-निविदा से संबंधित सभी अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

क्षेत्रीय निदेशक
कानपुर